कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

दूरभाष / फैक्स 01334 226271 email :dfo_hardwar@rediffmail.com

पत्रांक : 2177 /12–1, हरिद्वार, दिनांक, 13-12- 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— जनपद हरिद्वार में केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत रूड़की–लक्सर–बालावाली मार्ग राज्य संख्या–26 के कि0मी0 19 तक पेव्ड शोल्डर से मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 7.32 है0 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0 को वन भूमि प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/153125/2022)

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 70 / 2022 / एफ0सी0 / 928, दिनांक 04.10.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा 16 बिन्दु पर सूचना चाही गई थी। उक्त सूचना के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने पत्र संख्या 2189 / 4सी0, दिनांक 14.11.2022 द्वारा निम्न प्रकार प्रतिउत्तर दिया गया है –

क्रंसं	भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	The details of the FCA approval or the documents supporting the fact that the existing road was constructed prior to 1980 have not been provided. State Government is requested to provide the information in this regard.	शासनादेश संख्या 115/XVI/331-50 दिनांक 10. 02.1960 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की मार्ग पटरी की भूमि संरक्षित वन घोषित है। अध्याय–II विविध वन कार्यावृत्त के पैरा 11.4.2 के अनुसार उक्त मार्ग शासनादेश संख्या 115/ XVI/331-50 दिनांक 10.02.1960 में उल्लेखित होने से यह मार्ग वर्ष 1960 से पूर्व से निर्मित है। **(संलग्नक–1)**
2	The habitation is already connected with a road. Lot of landslides are to be seen along the other roads constructed in the same locality. Construction of yet another road without any explicit purpose may lead to further degradation of the fragile landscape. Hence, State Government is requested to provide the justification for the requirement of another road in the view of above.	उक्त विषयक मार्ग जिला हरिद्वार में मैदानी भाग में अवस्थित है एवं पूर्व निर्मित है। जिसमें कोई भी भूस्खलन क्षेत्र नहीं है एवं न ही अन्य मार्ग का नवनिर्माण प्रस्तावित है। त्रुटिवश अन्य मार्ग की KML File upload हो जाने से संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसे वर्तमान में पुनः विषयक मार्ग की KML File upload कर संशोधित कर दिया गया है।
3	As per the land schedule, additional RoW of 4m is proposed. A layout plan for the proposed road shall be submitted.	मार्ग का Layout plan online upload कर दिया है एवं हार्ड कॉपी में भी प्रस्तुत है। **(संलग्नक–2)**
4	Detail of non-forest land involved in the proposal shall be provided in Part I at all designated places.	पूर्व में मार्ग के अन्तर्गत Non Forest land Area 48.03 है0 था, परन्तु मार्ग के दोनों ओर दो–दो मीटर चौड़ाई में पटरी भाग में वन विभाग द्वारा वनीकरण किये जाने के पश्चात 7.32 है0 संरक्षित वन भूमि

Letter

Scanned with CamScanner

		घोषित होने के फलस्वरूप वर्तमान में मार्ग का Non Forest land Area 40.71 है0 है, जो कि प्रयोक्ता एजेन्सी स्तर से Part-I में ऑनलाईन अंकित नहीं हो पा रहा है।
5	Details of muck dumping sites shall be provided at para B 2.4 in Part I.	विषयक मार्ग पूर्व से निर्मित है। वर्तमान में उक्त मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है। इस मार्ग के पुनः निर्माण में किसी प्रकार का मलबा निरतारण नहीं किया जाना है। अपितु मार्ग निर्माण हेतु मलवे की आवश्यकता है।
6	On perusal of KML file, the proposal seems to be for construction of a new road to connect to village *'Sasaman'* rather than for for widening of existing road. The State Government is requested to submit the clarification in this regard.	पूर्व में विषयक कार्य की KML File upload न होकर त्रुटिवश अन्य मार्ग की KML File upload हो गई। जिसे वर्तमान में ऑनलाईन संशोधित कर दिया गया है। मार्ग पूर्व निर्मित है एवं वर्तमान में मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है।
7	The alignment of the proposed road does not match with that of the digital map. State Govt. is requested to clarify this discrepamcy and upload correct KML file/digital map.	पूर्व में विषयक कार्य की KML File upload न होकर त्रुटिवश अन्य मार्ग की KML File upload हो गई। जिसे वर्तमान में ऑनलाईन संशोधित कर दिया गया है।
8	Digital map and SOI toposheet are not legible. Digital map and SOI toposheet of higher resolution shall be provided.	Digital map and SOI टोपोशीट Higher resolution में पुनः ऑनलाईन अपलोड़ कर दी गई है।
9	Village Level Committee (VLC) meeting proceedings of Village *Balawali* shall be uploaded.	रूड़की–लक्सर–बालावाली मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 30 कि0मी0 है। उक्त मार्ग के प्रारम्भ के 18.300 कि0मी0 (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 18.300 तक) लम्बाई में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु केन्द्रीय सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत प्राप्त है। जिस हेतु यह वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मार्ग के कि0मी0 0.00 से 18.300 तक की लम्बाई हेतु गठित किया गया है। उक्त मार्ग के अन्तर्गत बालावाली ग्राम मार्ग के अन्तिम भाग कि0मी0 30 में अवस्थित है। जिस कारण बालावाली ग्राम की Village Level Committee की आवश्यकता नहीं है।
10	Density of the proposed forest area is mentioned as zero despite having 984 trees. State Govt. is requested to provide the correct information in this regard.	प्रस्तावित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.2 है तथा ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग–II में यथास्थान पर भर दिया गया है।
11	Eco class and density are not mentioned in NPV calculation sheet and it is submitted that this information is not available in working plan. Necessary	प्रस्ताव के ऑनलाईन भाग–II में Add. Information में अपलोड़ किया गया है। **(संलग्नक–3)**

Letter

Scanned with CamScanner

	information in this regard shall be provided.	
12	At para 5 in Part II, it is mentioned that 'no prescription in working plan', for the Protected Forest in Laksar and Rooree Range'. This information required to be reviewed.	कार्ययोजना की प्रति संलग्न कर ऑनलाईन भाग–II में यथास्थान पर भरकर सूचना Add. Information में अपलोड़ किया गया है। **(संलग्नक–4)**
13	Much disposal Plan, bar chart and geologist report are not found uploaded in addl. Document in part I, which is required to be uploaded.	मार्ग पूर्व से निर्मित है। वर्तमान में उक्त कार्य के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का मलवा निस्तारण नहीं किया जाना है। अपितु मार्ग निर्माण हेतु मलबे की आवश्यकता है, जिस कारण Muck Disposal Plan Upload नहीं किया गया है। मार्ग का Barchart पुनः ऑनलाईन अपलोड कर दिया है। चूंकि मार्ग मैदानी भाग में अवस्थित है एवं पूर्व निर्मित है। अतः मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु भूगर्भवेत्ता की आख्या की आवश्यकता नहीं है।
14	Work not start certificate shall be provided in the part II.	प्रस्ताव के ऑनलाईन भाग–II में Add. Information में अपलोड़ किया गया है। **(संलग्नक–5)**
15	Tree enumeration list of only one range i.e. Laksar is uploaded in part I. It is requested to upload the tree enumeration list for both the ranges in the Part II. Further, it is also requested to submit the no. of trees actually required to be felled.	रूड़की रेंज के अन्तर्गत मार्ग में अवस्थित प्रभावितों की सूची पुनः Online upload कर दी गयी है।
16	Details of the muck desposal sites shall be marked in the KML file.	उक्त मार्ग पर किसी भी प्रकार के Muck का Disposal नहीं किया जाना है। मार्ग की पटरियों के निर्माण हेतु मिट्‌टी भरान का कार्य किया जाना है। जिस कारण Muck Disposal Site की आवश्यकता नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मयंक शेखर झा)
उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

पत्रांक 2177 /12–1, तददिनांकित

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सिटी जंक्शन मॉल के सामने, निकट आई0एस0बी0टी0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार

Letter

Scanned with CamScanner